कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135-2767611

पत्रांक—1001 / FP/UK/TRANS/36388/2018 :देहरादून:दिनांक: 14 अक्टूबर, 2019.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः— जनपद—देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड चकराता में (ढकरानी से चकराता तक) 33 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 7.20 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/TRANS/36388/2018)

संदर्भः— भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./04/46/2019/एफ0सी0/876 दिनॉक 16—04—2019

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के पत्रांक 1312/12—1 दिनांक 05—10—2019 **(संलग्नक—1)** द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही है:—

2— **शर्त संख्या—1** के अनुपालन में सूचित करना है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कालसी कम्पार्टमेन्ट नं0 15 एवं 18 में 14.40 हे0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों तक रख—रखाव हेतु धनराशि ₹ 44,14,046.00 (₹ चौवालीस लाख चौदह हजार छियालीस) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में ऑन—लाईन चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। चूंकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण अवनत आरक्षित वन भूमि में किया जाना है, अतः भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण की आवश्यकता नहीं है।

3. **शर्त संख्या—2** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 47,30,400.00 (₹ सैतालीस लाख तीस हजार चार सौ) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में ऑन—लाईन चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है।

4. **शर्त संख्या—3** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी। **(संलग्नक—2)**

5. **शर्त संख्या—4** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं सभी निधियां कुल ₹ 91,44,446.00 (₹ इक्यानब्बे लाख चौवालीस बावन हजार चौहत्तर) मात्र प्रतिपूर्ति निधि प्रबन्धन तथा योजना प्रबन्धन (CAMPA) के कॉरपोरेशन बैंक में online portal पर चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। On line paid status की प्रति एवं चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक—3)**

6. **शर्त संख्या—5** के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना पारेषण लाईन निर्माण की है, अतः प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि पारेषण लाईन के नीचे बौनी प्रजाति के वृक्षों का वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख—रेख में किया जायेगा। **(संलग्नक—4)**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या की प्रति मय संलग्नक प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विषयॉकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नः—यथोपरि

भवदीय,

14/10/19

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :— 1001 / FP/UK/TRANS/36388/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, जनपद देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

14/10/19